न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– शिवपाल जाट , आर.ए.एस.

वादीगण :– बनाम प्रतिवादीगण :–

1. पूसाराम पुत्र भागुराम जाट
2. मोतीराम पुत्र लिछमण जाट
3. हुक्माराम पुत्र लिछमणराम जाट

निवासी हुलढाणी तह. परबतसर

1. अमराराम पुत्र हीरा जाट
2. रूपाराम पुत्र हीरा जाट

निवासी हुलढाणी

3. तहसीलदार, परबतसर

दावा बाबत :– खातेदारी घोषणा व 136 एल.आर.एक्ट
उपस्थित :– श्री श्यामनिरंजन बोहरा, अधिवक्ता वादीगण
श्री सुशील स्वामी अधिवक्ता प्रतिवादी 1, 2

मुकदमां नम्बर :– 2019/00231 निर्णय दिनांक :– 14.03.2022

निर्णय

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामनिरंजन बोहरा ने यह वाद पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम हुलढाणी के खसरा नम्बर 403 रकबा 1.0400 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण सह खातेदार है अन्य किसी खातेदार से कोई विवाद नहीं है उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि है वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है जिनका मौके पर भूमियों को पिता व दादा के समय से ही मौखिक रूप से बंटवारा हो रखा है। उक्त भूमि में प्रतिवादी 1 , 2 का केवल नाम दर्ज चला आ रहा है मौके पर कब्जा वादीगण का ही है। उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी 1 , 2 के नाम दर्ज भूमि में शुरू से ही वादीगण का कब्जा काश्त है। जिसमें 1/2 हिस्सा वादी संख्या 1 का एवं 1/2 हिस्सा वादी संख्या 1, 2 का है तथा वादी 1 का नाम पुसाराम है तथा पिता का नाम भागुराम है जिसे राजस्व रिकार्ड में पुसा पुत्र भागु दर्ज हो रखा है जिसके स्थान पर पुसाराम पुत्र भागुराम दर्ज किया जाना है। वादीगण ने वाद पेश कर ग्राम हुलढाणी के खसरा नम्बर 403 रकबा 1.0400 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी 1 , 2 का नाम हटाया जाकर प्रतिवादीगण के हिस्से में दर्ज भूमि में 1/2 हिस्सा वादी 1 व 1/2 हिस्सा वादी 2, 3 की खातेदारी में घोषित किया जाकर इस भूमि में वादी संख्या 1 का नाम पुसा पुत्र भागु के स्थान पर पुसाराम पुत्र भागुराम दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।
2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1, 2 ने अधिवक्ता सुशील स्वामी के जरिये वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबालिया जबाब पेश किया है, तथा उक्त विवादित आराजीयत में दर्ज प्रतिवादीगण के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने हेतु सहमति दर्ज की है। प्रतिवादी 3 का सम्मन विधिवत तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

है। पक्षकारो में कोई कोई विवाद नहीं होने एवं प्रतिवादीगण 1, 2 द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करने के कारण वादी मौखिक साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है साक्ष्य वादी बन्द की गई।

3. वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पर उभय पक्षकारो के अधिवक्तओं की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजा का अवलोकन किया गया। विधि के सुसंगत प्रावधानों एवं बहस पर मनन किया गया।

4. वादीगण द्वारा ग्राम हुलढाणी की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2073–76 पेश की है जिसमें ग्राम हुलढाणी के खसरा नम्बर 403 रकबा 1.040 हैक्टयर भूमि में वादी मोतीराम काा 1/12 हिस्सा व वादी हुक्माराम का 1/12 हिस्सा व वादी पूसराम का 1/16 हिस्से की तथा प्रतिवादी अमराराम का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी रूपाराम का 1/8 हिस्से की खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। शेष भूमि अन्य खातेदारो की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है, जिनके सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। वादीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस बताया है कि उक्त भूमि में प्रतिवादी 1, 2 का नाम दर्ज चला आ रहा है मौके पर कब्जा काश्त नहीं है, पारिवारिक सेटलमेन्ट में प्रतिवादीगण को अन्य स्थान पर भूमि दी है जिसमें से वादीगण का नाम हट गया है केवल प्रतिवादीगण का ही नाम दर्ज चला आ रहा है। लेकिन इस विवादित भूमि में से प्रतिवादीगण का नाम नहीं हटा है प्रतिवादी 1, 2 के नाम दर्ज भूमि वादीगण के हक हिस्से में आयी है। जिसमें से प्रतिवादीगण 1, 2 का नाम हटाया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित फरमाया जावे। वादीगण के वाद को प्रतिवादी 1, 2 ने इकबालिया जबाब पेश कर स्वीकार किया है तथा विवादित भूमि के अतिरिक्त प्रतिवादीगण के हिस्से में आयी भूमि की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 पेश की है जिसमें केवल प्रतिवादी 1, 2 का नाम दर्ज है उक्त भूमि भी वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक होना बताया है जिसमें से वादीगण का नाम हट गया है। प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया है कि खसरा नम्बर 403 में से वादीगण का नाम हटाया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही होना स्वीकार किया है। जिससे वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि ग्राम हुलढाणी के खसरा नम्बर 403 रकबा 1.04 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी 1, 2 का नाम हटाया जाकर उनके हक हिस्से की भूमि में 1/2 हिस्से का वादी संख्या 1 को तथा 1/2 हिस्से का वादी 2, 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तथा वादी सख्यां 1 का नाम पुसा पुत्र भागु के स्थान पर पुसाराम पुत्र भागुराम दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनया गया।

14/3/22

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)